

संख्याक-01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :- हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या:- 129/2013

रामचन्द्र पुत्र रावताराम जाति कुम्हार निवासी गणेशगढ तहसील सादुलशहर जिला
श्रीगंगानगर वादी

- बनाम
- 1 सुल्तानराम पुत्र रावताराम जाति कुम्हार निवासी 4 के एच एम रोजड़ी तहसील
घड़साना जिला श्रीगंगानगर
 - 2 मनीराम पुत्र रावताराम जाति कुम्हार निवासी 4 के एच एम रोजड़ी तहसील
घड़साना जिला श्रीगंगानगर
 - 3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सादुलशहर
- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटीए

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरु हमारे
बहाजरी श्री राजेन्द्र डाल वकील वादी मिन जागिन मुद्ई श्री महेन्द्र शर्मा वकील
प्रतिवादीगण मिन जानिव मुघायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व वाद वादी
स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की
जाती है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वादी के हक हिस्सा नाम दर्ज एव कब्जा
काश्त की चक 6 टी के डब्ल्यू खाता संख्या 63/60 प.न. 9/226 मु.न. 43 कि.न. 16
ता 25 में 2.530 है. नहरी मय गे.मु. , प.न. 9/227 मु.न. 44 कि.न. 1 ता 5 नहरी भूमि
1.265 है. कुल 3.795 है. नहरी भूमि खातेदारी से वादी को जबरन बेदखल करने से
वाज व ममनू रहे।

बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 09.09.2020 को जारी
किया गया।



(Signature)
9.9.2020
हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर